

## पेप्सीको (PepsiCo) मानव अधिकार कार्यालय नीति

पेप्सीको (PepsiCo) हमारे कार्यालय के कर्मचारियों की गरिमा का सम्मान करती है और हम इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि हमारे कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा और एक सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में काम करने का अधिकार मिले, तथा वे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या दुर्व्यवहार से मुक्त हों।

हम वेतन, लाभ और रोजगार की अन्य शर्तों के संबंध में अपने कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण और ईमानदारी का व्यवहार करते हैं और अपने कर्मचारियों के संगठन की स्वतंत्रता का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। हम बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम में विश्वास नहीं रखते।

हम भेदभाव को बिलकुल भी सहन नहीं करते हैं और सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं।

हम जहाँ भी अपना प्रचालन या कार्य करते हैं, वहाँ के सभी लागू होने योग्य कानूनों, अधिनियमों और अन्य कर्मचारी मानकों का अनुपालन करते हैं।

हम अपने भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं, अनुबंधकर्ताओं और विक्रेताओं को इन नीतियों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हम ऐसे लोगों के साथ कार्य करने पर बल देते हैं जो मानव अधिकार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मानते हैं।

**पेप्सीको (PepsiCo) मानव अधिकार कार्यालय नीति:  
दिशानिर्देश और परिभाषाएँ**

### दिशानिर्देश

**क्षेत्र:** यह नीति पेप्सीको (PepsiCo) के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है।

**न्यूनतम मानक:** पेप्सीको (PepsiCo) की सभी गतिविधियाँ स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के अनुपालन में होनी चाहिए। यह नीति ऐसा न्यूनतम मानक तय करती है, जिसका प्रासंगिक स्थानीय कानूनों और अधिनियमों की अनुपस्थिति में अनुपालन होना चाहिए। यदि ये मानक अपने स्तर से नीचे जाते हैं, तो विभाग इनको अनुकूलित या परिवर्तित कर सकते हैं।

**प्रभावी दिनांक:** यह नीति 20 मार्च, 2006 से प्रभावी है।

### परिभाषाएँ

इन परिभाषाओं की व्याख्या हमारे मूल्य कथनों, आचार संहिता, और अन्य प्रासंगिक पेप्सीको (PepsiCo) या विभागीय नीतियों जैसे विविधता, वातावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, श्रम और मानव संसाधन नीतियों के संबंध में की जानी चाहिए।

**मानव अधिकार के अंतर्गत तीन क्षेत्र आते हैं:**

1. **सम्मान:** व्यक्तिगत सुरक्षा; उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से मुक्ति; संगठन की स्वतंत्रता।
2. **समानता:** जाति, रंग, धर्म, लिंग, राष्ट्रीय मूल, लैंगिक रुझान या अक्षमता के संबंध में समान अवसर।
3. **कार्य की गरिमा:** मानवीय कार्य स्थितियाँ; कर्मचारी का स्वास्थ्य और सुरक्षा; बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम उन्मूलन।

**संगठन की स्वतंत्रता का अर्थ है:** कानून और कंपनी नीति व कार्यविधियों के अनुरूप, कर्मचारियों को एकजुट होने, बातचीत करने और कार्य-संबंधित उद्देश्यों के लिए संगठित होने का अधिकार प्राप्त होगा।

**बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन का अर्थ है:** जिसमें कोई भी कार्य जबरदस्ती या बंदी बनाकर नहीं करवाया जाए और अनुशासन व नियंत्रण में रखने की विधि के रूप में किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड या हिंसात्मक धमकियाँ अथवा अन्य प्रकार का शारीरिक, यौन, मानसिक या मौखिक दुर्व्यवहार का उपयोग न हो।

**बाल श्रम के उन्मूलन का अर्थ है:** 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को, वैतनिक या अवैतनिक कार्य सहित, पूर्णकालिक या अंशकालिक समय हेतु किसी भी उद्देश्य के लिए कार्य पर नहीं रखा जाना चाहिए।

**मानवीय कार्य स्थितियों का अर्थ है:** एक सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ कार्य वातावरण, जहाँ पूर्ण रूप से प्रकाशमान कार्यस्थल, पीने योग्य पानी, पर्याप्त विश्रामगृह, आग की स्थिति में आपातकालीन निकासी द्वार और आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन उपचार किट और आग व मेडिकल सहित आपातकालीन सहायता की पहुँच हो।